विलोपित विलोपित

# न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

I/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा/2018/2394

1. धर्मा तनय मंजुआ अहिरवार
2. सलकुआ तनय मंजुआ अहिरवार

निवासी डिकोली तहसील बड़ागांव जिला टीकमगढ़ म.प्र.

बनाम

म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार बड़ागांव जिला टीकमगढ़ म0प्र0

श्री ... प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 19-4-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

## निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता

**निगरानी अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 129/अपील/2015–16 में पारित आदेश 20.07.2016 से व्यथित होकर समक्ष श्रीमान् के प्रस्तुत हैं।**

महोदय,

निगराकार की ओर से विनय इस प्रकार है –

1. यह कि पुनरीक्षण याचिका अधीनस्थ न्यायालय टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 20.07.2016 से व्यथित होकर प्रस्तुत की जा रही है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है –

1. यह कि भूमि स्थित ग्राम डोगरपुर खसरा नं0 81/8 रकवा 1.439 है0 का व्यवस्थापन पुनरीक्षणकर्ताओं के पक्ष में किया गया था जो उक्त भूमि पर काबिज कास्त होकर वर्ष 1987 से लगातार उक्त भूमि पर कृषि कार्य करते आ रहे है, भूमि पर सुधार किया है एवं स्वामित्व के अनुसार उक्त भूमि पर कृषि कार्य करते आ रहे है। उक्त व्यवस्थापन को उत्तरवादी द्वारा सामूहिक प्रकरण में उलझाकर आवेदक की खसरा प्रविष्टी फर्जी मानकर निरस्त कर दी गई। उक्त कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बड़ागांव के प्रकरण क्रमांक 36–बी/121/2009–10 में पारित आदेश 21.05.2010 के अनुसार

13/4/18

XXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/2394

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
| --- | --- | --- |
| 28/5/18 | प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा पूर्व में भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पृथक-पृथक अपील प्रस्तुत की गई थी जो अवधि वाह्य होने से दिनांक 30.09.2013 को निरस्त की जा चुकी हैं। आवेदक द्वारा उक्त तथ्यों को छिपाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई। पुन: अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार न होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील समाप्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। आवेदक अधिवक्ता सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र हैं। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राहय की जाती है।<br><br>**प्रशासकीय सदस्य** | |